इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 210] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 अप्रैल 2011— चैत्र 11, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2011

क्र.-ए 3-17-2010-1-पांच (25).—यत: राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में, निम्नलिखित संशोधन मध्यप्रदेश राजपत्र में पूर्व प्रकाशन कराए बिना तत्काल कराए जाना चाहिए;

अतएव, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 71 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 23 में, उपनियम (1) में, खण्ड (एक) में, शब्द ''रुपये चालीस लाख'' के स्थान पर, शब्द ''रुपये साठ लाख'' स्थापित किए जाएं.

(2) नियम 56 में, सारणी में, अनुक्रमांक 5 के सामने, कॉलम (4) में, शब्द ''पांच करोड़'' के स्थान पर, शब्द ''दस करोड़'' स्थापित किए जाएं.

(3) नियम 57 में, उपनियम (6) में, शब्द, अंक तथा अक्षर ''प्ररूप 41-क'' के स्थान पर, शब्द अंक तथा अक्षर ''प्ररूप 41-ख'' स्थापित किए जाएं.

(4) नियम 73 में, उपनियम (1) में, शब्द, ''जांच चौकी अधिकारी'' के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक तथा अंक ''जांच चौकी अधिकारी या धारा 57 की उपधारा (5) के अधीन सशक्त अधिकारी'' स्थापित किए जाएं.

(5) नियम 84 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"84-क इलेक्ट्रानिक प्रस्तुतीकरण

(1) राज्य सरकार, मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, उपबंध कर सकेगी कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली कालावधियों के संबंध में, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कोई व्यापारी या व्यापारियों का वर्ग, अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट हार्ड कॉपी के साथ या हार्ड कॉपी के बिना आवेदन, विवरणी, उपाबंध, विकल्प, घोषणा प्ररूप, अपील का ज्ञापन, विवरण, संपरीक्षा रिपोर्ट और अन्य कोई दस्तावेज, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, इलेक्टॉनिक प्ररूप में, डिजीटल हस्ताक्षर के साथ या डिजीटल हस्ताक्षर के बिना, विभाग की प्राधिकृत वैब पोर्टल (www.mptax.net/www.mptax.gov.in) के माध्यम से, वेब पोर्टल पर दिए गए अनुदेशों के अनुसार प्रस्तुत करेगा.

(2) नियमों के क्रमिक उपबंध, इलेक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत आवेदन, विवरणी, उपाबंध, विकल्प, अपील का ज्ञापन, विवरण, संपरीक्षा रिपोर्ट तथा अन्य किसी दस्तावेज के लिए, यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे.".

(6) प्ररूप 4 में, शब्द "रुपये चालीस लाख" के स्थान पर, शब्द "रुपये साठ लाख" स्थापित किए जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2011

क्र. एफ-ए 3-17-2010-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-17-2010-1-पांच (25), दिनांक 1 अप्रैल 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 1st April 2011

No. A-3-17-2010-1-V(25).—Whereas, the State Government considers if necessary that the following amendments in the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006 should be made at once without previous publication in the Madhya Pradesh Gazette;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 71 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules,—

(1) In rule 23, in sub-rule (1), in clause (i), for the words "rupees forty lacs", the words "rupees sixty lacs" shall be substituted.

(2) In rule 56, in the table, against serial number 5, in column (4), for the words "five crores", the words "ten crores" shall be substituted.

(3) In rule 57, in sub-rule (6), for the word, figure and letter "Form 41-A", the word, figure and letter "Form 41-B" shall be substituted.

(4) In rule 73, in sub-rule (1), for the words "The check post officer", the words, bracket and figures "The check post officer or the officer empowered under sub-section (5) of Section 57" shall be substituted.

(5) After rule 84, the following rule shall be inserted, namely :—

"84-A Electronic filing

(1) The State Government may, by notification published in the Madhya Pradesh Gazette provide that in respect of the periods starting on or after the date specified in the said notification, a dealer or class of dealers specified in the said notification shall, with or without a hard copy as specified in the notification submit application, return, annexure, option, declaration form, memorandum of appeal, statement, audit report and any other document which may be specified in the notification, in electronic form with or without digital signature, as may be specified, through the official web portal of the department (www.mptax.net/www.mptax.gov.in) in accordance with the instructions given in the web portal.

(2) The respective provisions of the rules shall mutatis mutandis apply to the application, return, annexure, option, memorandum of appeal, statement, audit report and any other document submitted electronically.".

(6) In Form 4, for the words "rupees forty lacs", the words "rupees sixty lacs" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.